42

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष : एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 4–2/635/1994 – विरूद्व आदेश दिनॉक 31–3–1994 – पारित व्दारा – अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना – प्रकरण कमांक 44/1990–91 अपील

उदय पाल सिंह पुत्र साहबसिंह ठाकुर
ग्राम धमकन तहसील जौरा जिला मुरैना ———आवेदक

विरूद्व

1– रामपाल पुत्र कुन्दन सिंह ठाकुर
2– पतिराम पुत्र शिवचरण कुशवाह
निवासी ग्राम धमकन
तहसील जौरा जिला मुरैना ———अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री मुकेश बेलापुरकर)
(अनावेदक क–1 के अभिभाषक श्री एस.के.शर्मा)

आ दे श
(आज दिनांक 6 –9 –2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 44/1990–91 अपील में पारित आदेश दिनॉक 31–3–1994 के विरूद्व म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि ग्राम धमकन तहसील जौरा के पटैल की मृत्यु होने पर कमशः पतिराम पुत्र शिवचरन कुशवाह, रामपाल सिंह पुत्र कुन्दनलाल जादौन, उदय

पाल सिंह पुत्र सहाव सिंह ठाकुर तथा सूरजपाल सिंह जौदान पुत्र कुँवरपाल सिंह जू देव ने पटैल पर हेतु आवेदन दिये, जिस परं से अनुविभागीय अधिकारी जौरा के न्यायालय में प्रकरण 26/अ–55/85–86 पंजीबद्व किया जाकर जॉच एंव सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 27–7–87 पारित किया गया तथा रामपाल पुत्र कुन्दनं सिंह ठाकुर को पटैल नियुक्त किया गया। इस आदेश के विरूद्व कलेक्टर मुरैना के समक्ष तीन अपील कमशः 71/86–87, 73/86–87, 3/87–88 प्रस्तुत हुई। कलेक्टर मुरैना ने तीनों अपील प्रकरणों में सुनवाई कर सॅयुक्त आदेश दिनांक 12–2–90 पारित किया तथा अपील निरस्त करते हुये अनुविभागीय अधिकारी जौरा के आदेश दिनांक 27–7–87 को स्थिर रखा। कलेक्टर मुरैना के आदेश दिनांक 12–2–90 के विरूद्व अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष उदयपाल सिंह ने अपील कमांक 44/90–91 प्रस्तुत की, जो अवधि वाह्य पाकर आदेश दिनांक 31–3–1994 से निरस्त कर दी गई। इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदक एंव अनावेदक कमांक 1 के अभिभाषक के तर्क सुने । अनावेदक कमांक–2 सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है। अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि अपर आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना के समक्ष अपील प्रस्तुत करने में विलम्ब नहीं हुआ था क्योंकि कलेक्टर मुरैना व्दारा अपीलांट को आदेश सॅसूचित नहीं किया था। आदेश की जानकारी होने एंव प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने में लगा समय मुजरा करने पर अपील समयावधि में थी। विलम्ब क्षमा करने के लिये अवधि विधान की धारा–5 का आवेदन दिया गया था , शपथ पत्र भी दिया गया था, किन्तु अपर आयुक्त, चम्बल संभाग ने अपील को विलम्ब के आधार पर क्षमा करने में भूल की है उन्होंने निगरानी स्वीकार करने की प्रार्थना की।

अनावेदक क–1 के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि अपर आयुक्त के समक्ष अवधि विधान की धारा–5 के प्रस्तुत आवेदन में आदेश की जानकारी का स्रोत नहीं बताया गया है। जब कलेक्टर के आदेश को नियत दिन आवेदक के अभिभाषक ने टीप किया है

आवेदक को भी उसी दिन आदेश की जानकारी होना मानी जावेगी। उन्होंने निगरानी निरस्त करने की मांग की।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों व्दारा प्रस्तुत तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि कलेक्टर मुरैना के समक्ष आवेदक एंव अनावेदक के अभिभाषक ने अंतिम तर्क प्रस्तुत किये है एंव आदेश की जानकारी टीप की है तथा आदेश दिनांक 12–2–90 को आर्डरशीट के हासिये में आदेश भी उसी दिन टीप किया है। आवेदक व्दारा नियुक्त अभिभाषक आवेदक का पक्ष समर्थन करते है इसलिये आवेदक के अभिभाषक व्दारा कलेक्टर के आदेश दिनांक 12–2–90 को आर्डरशीट के हासिये पर नियत दिन टीप करना , यही माना जावेगा कि आवेदक को आदेश की जानकारी उसी दिन हो गई, जिस दिन उसके अभिभाषक ने आदेश टीप किया है। इस सम्बन्ध में अपर आयुक्त व्दारा आदेश दिनांक 31–3–1994 में निकाला गया निष्कर्ष उचित प्रतीत होता है, क्योंकि एक पक्षकार को लाभ देते हुये दूसरे पक्षकार को प्रोद्भूत अधिकारों से बंचित करना न्याय की श्रेणी में नहीं माना जावेगा।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 44/1990–91 अपील में पारित आदेश दिनॉक 31–3–1994 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर